अधिकरणः—सदस्य, द्वितीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण नौगांव, जिला छतरपुर (म.प्र.)

(समक्षः—दिनेश कुमार प्रजापति)

Registration No-MACC/67/2022
Filing No-MACC/332/2022
CNR No. MP1607001601-2022
Filing Date-30/09/2022
Registration Date -12/10/2022

1. श्रीमती सुमन रावत पत्नी स्व0 घनश्यामदास आयु 50 वर्ष,
2. कु. प्रीति रावत पुत्री स्व0 घनश्यामदास आयु 24 वर्ष,
3. कु. दीपिका रावत पुत्री स्व0 घनश्यामदास आयु 19 वर्ष,
4. श्रीमती जनककिशोरी रावत पत्नी स्व0 झुल्लू उम्र 80 वर्ष,

समस्त निवासी—ग्राम सुकवां, थाना व तहसील नौगांव,
जिला छतरपुर म0प्र0 **......................आवेदकगण**

वि रू द्ध

1. आसू खान पठान पुत्र हसन खान पठान उम्र 22 वर्ष,
निवासी—चौबे कालौनी, थाना सिविल लाईन छतरपुर,
जिला छतरपुर म0प्र0 **(वाहन चालक)**
2. ओमप्रकाश मिश्रा पुत्र नाथूराम मिश्रा उम्र—45 वर्ष,
निवासी—नरसिंहगढ़ पुरवा छतरपुर, थाना सिविल लाईन
छतरपुर, जिला छतरपुर म0प्र0 **(वाहन स्वामी)**
3. दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
शाखा कार्यालय जवाहर मार्ग मेन रोड
छतरपुर, जिला छतरपुर म0प्र0 **(बीमा कंपनी).........अनावेदकगण**

दावे का प्रकार	मृत्यु दावा अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम
मृतक का नाम	घनश्यामदास रावत
घटना दिनांक	दिनांक 19.12.2021
घटनास्थल	तिजवा अहिरवार का खेत कुआ के पास ग्राम सुकवां में आम रोड़
दुर्घटनाकारी वाहन	पिकअप क. एम.पी. 16 जी.ए. 1184
दावा प्रस्तुति दिनांक	दिनांक 29.09.2022
दावे में मांगी गई क्षतिपूर्ति राशि	85,00,000 / —रूपये
अधिकरण द्वारा प्रदत्त क्षतिपूर्ति राशि	**राशि 40,58,047 / —रूपए** एवं उस पर दावा प्रस्तुति दिनांक से अदायगी दिनांक तक 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित।

—————————————————————————

आवेदकगण द्वारा श्री यशपाल पटैरिया अधिवक्ता।
अनावेदक क. 1, 2 पूर्व से एकपक्षीय।
अनावेदक क. 3 द्वारा श्री दयाराम पाठक अधिवक्ता।

—————————————————————————

:: अ धि नि र्ण य ::

(दिनांक **08.08.2025** को घोषित)

1. आवेदकगण द्वारा यह याचिका धारा–166 मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत् मोटर दुर्घटना में मृतक घनश्यामदास रावत की मृत्यु होने के बतौर प्रतिकर 85,00,000/–(पिच्यासी लाख रूपये) समुचित ब्याज सहित अनावेदकगण से संयुक्ततः अथवा पृथकतः दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत की गई है।

2. आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19.12.21 को मृतक घनश्यामदास रावत सुकवां से नौगांव वापिस आ रहे थे ग्राम सुकवां में तिजवा अहिरवार के खेत के पास अनावेदक क्र. 1 ने पिकअप को एम.पी. 16 जी.ए. 1184 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर घनश्यामदास को टक्कर मार दी, जिससे घनश्यामदास गंभीर रूप से घायल हो गये, जिन्हें इलाज हेतु ले जाया गया, इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना की सूचना पर पुलिस थाना नौगांव के द्वारा अपराध क्र. 14/22 दर्ज कर उसमें विवेचना कार्यवाही करते हुए उससे वाहन एम.पी. 16 जीए 1184 को जप्त कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय में आपराधिक प्रकरण क्र. 95/22 दर्ज हुआ है।

3. आवेदन में आगे यह भी बताया है कि आवेदक क्र. 1 मृतक की पत्नी, आवेदक क्र. 2,3 मृतक की पुत्री आवेदक क्र. 4 मृतक की माँ है, जो मृतक पर आश्रित थे। घटना के समय मृतक प्राथमिक शासकीय शाला अचटट में प्राथमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ था जिससे उसे प्रतिमाह 40107/–रूपये वेतन प्राप्त होती थी। घनश्यामदास शिक्षक के साथ परिवार की कृषि भूमि में कृषि कार्य करते हुए प्रतिमाह 10,000 रूपये की अतिरिक्त आय अर्जित करते थे। घनश्यामदास की मृत्यु वाहन दुर्घटना में हुई है। आवेदकगण उसके विधिक वारसान है। इस मृत्यु से आवेदकगण को 85,00,000/–रूपये की क्षति कारित हुई है। दुर्घटनाकारी वाहन एम.पी. 16 जी.ए. 1184 का चालक अनावेदक क्र. 1 तथा स्वामी अनावेदक क्र. 2 है। यह वाहन घटना दिनांक को अनावेदक क्र. 3 के यहां बीमित था। अतः यह क्षतिपूर्ति राशि आवेदकगण को अनावेदकगण से समुचित ब्याज दर से दिलाये जाने का निवेदन किया है।

4. अनावेदक क्र. 1 व 2 ने वाहन एम.पी. 16 जी.ए. 1184 का स्वामी एवं चालक होना स्वीकार कर घटना दिनांक को वाहन अनावेदक क्र. 3 के यहां बीमित होना बताया है, इसके अतिरिक्त शेष अभिवचनों से इंकार करते हुए विशेष कथन में बताया है कि अनावेदक क्र. 1 को वाहन चलाने का अच्छा अनुभव है। अनावेदक क्र. 1 के पास वाहन चलाने का वैध लायसेंस है। दिनांक 19.12.21 को अनावेदक क्र. 1 द्वारा अनावेदक क्र. 2 के वाहन से कोई घटना कारित नहीं की गई है। घटना के समय वाहन अनावेदक क्र. 3 के पास बीमित था यदि इस दुर्घटना में अनावेदक क्र. 1 का कोई दायित्व निर्मित होता है तो उसकी पूर्ति का उत्तरदायित्व अनावेदक क्र. 3 का है। अतः आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

5. अनावेदक क्र. 3 ने अपने जबाव में आवेदन पत्र के अभिवचनो को अस्वीकार कर विशेष कथन में बताया है कि मृतक के साथ अनावेदक क्र. 1 द्वारा वाहन बुलेरो

पिकअप एम.पी. 16 जीए 1184 को चलाकर कोई दुर्घटना कारित नहीं की गई है। आवेदकगण ने दुर्घटना दिनांक 19.12.21 से 25.12.21 तक दुर्घटना के संबंध में कोई सूचना थाना नौगांव, पुलिस चौकी जिला चिकित्सालय छतरपुर, झांसी में नहीं दी है। दिनांक 19.12.21 या उसके पश्चात् मृतक की एम.एल.सी. संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदकगण ने क्लेम पाने के लिए दुर्घटना की झूठी कहानी बनाकर अनावेदक क्र. 1 व 2 से दुरभिसंधि कर थाना नौगांव में अपराध क्र. 14/22 असत्य रूप से अनावेदक क्र. 1 के विरूद्ध दर्ज कराकर वाहन एम.पी 16 जीए 1184 को असत्य रूप से आलिप्त कराया है। मृतक वाहन चलाना नहीं जानता था उसके पास कोई ड्राईविंग लायसेंस नहीं था। मृतक द्वारा बिना हेलमेट लगाकर यातायात नियमों के उल्लंघन में मोटरसाइकिल चलाकर किसी अज्ञात वाहन से टकराये जाने से यह दुर्घटना हुई है। आवेदकगण ने मृतक द्वारा परिचालित मोटरसाइकिल के स्वामी एवं बीमा कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया है जिससे प्रकरण में आवश्यक पक्षकारो के असंयोजन का दोष है। वाहन एम.पी. 16 जी.ए. 1184 को बिना रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेश प्रमाण पत्र के अवैधानिक तौर पर चलाया जा रहा था इस प्रकार बीमा शर्तो एवं मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण बीमा कंपनी प्रतिकर हेतु उत्तरदायी नहीं है। मृतक की आयु घटना के समय 54 वर्ष से अधिक थी। उसकी आयु, आय के संबंध में कोई प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। आवेदन पत्र समयावधि से बाहर है। आवेदकगण स्वच्छ हाथो से न्यायालय में नहीं आये हैं घटना के तुरंत बाद घटना संबंधी कोई जानकारी वाहन चालक बीमा धारक एवं पुलिस थाने द्वारा नहीं दी गई है। अतः आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

6. उभयपक्ष के अभिवचन और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अधिकरण के द्वारा निम्न वाद प्रश्न विरचित किये गये हैं, जिनके निष्कर्ष साक्ष्य विवेचना उपरांत उनके समक्ष अंकित किये गये।

क्र.	**वाद प्रश्न**	**निष्कर्ष**
1	क्या दिनांक 19.12.2021 को शाम करीब 4:00 बजे थाना नौगांव अंतर्गत स्थान तिजवा अहिरवार के खेत कुआ के पास ग्राम सुकवां में आम रोड़ पर अनावेदक क्र. 1 ने अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व के वाहन पिकअप क्र. एम.पी. 16 जी.ए. 1184 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर टक्कर मारकर मृतक घनश्याम दास रावत की मृत्यु कारित की ?	**"प्रमाणित है"**
2	क्या उक्त दुर्घटना में मृतक घनश्यामदास रावत की योगदायी उपेक्षा थी ?	**"प्रमाणित नहीं"**
3	क्या दुर्घटना दिनांक एवं सुसंगत समय पर अनावेदक क्रमांक 1 के पास वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस का अभाव था ?	**"प्रमाणित नहीं"**

4	क्या दुर्घटना दिनांक को वाहन पिकअप क्र. एम.पी. 16 जीए 1184 को बीमा पॉलिसी की शर्तो एवं मोटर यान अधिनियम के प्रावधानो के उल्लंघन में चलाया जा रहा था ?	**"प्रमाणित नहीं"**
5	दुर्घटना के समय मृतक घनश्यामदास रावत की आयु और आय क्या थी ?	**"आयु 53 वर्ष एवं 3,83,502/—रुपए वार्षिक"**
6	क्या प्रकरण में आवश्यक पक्षकारो के असंयोजन का दोष है ?	**"प्रमाणित नहीं"**
7	क्या आवेदकगण, अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि हां तो किससे और कितनी ?	**"पैरा क्र. 46 अनुसार"**
8	क्या आवेदकगण अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि पर ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं यदि हां तो किस दर से और कब से ?	
9	सहायता एवं व्यय ?	**"पैरा क्र. 47 अनुसार"**

निष्कर्ष व उसके आधार

वाद प्रश्न क्रमांक—1 पर सकारण निष्कर्ष—

7. इस संबंध में आवेदिका सुमन आ.सा. 1 ने बताया है कि घटना दिनांक 19.12.21 को उसके पति मृतक घनश्याम मोटरसाइकिल से अपने गांव सुकमा से नौगांव आ रहे थे तिजवा अहिरवार के खेत के पास अनावेदक क्र. 1 द्वारा वाहन एम.पी. 16 जीए 1184 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर उसके पति की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे उसके पति को गंभीर चोटे आई थी उसके पति का इलाज सरकारी अस्पताल नौगांव में हुआ था। नौगांव से उसके पति को रैफर कर दिया गया। उसके बाद उसके पति का इलाज संजीवनी अस्पताल झांसी एवं गंगा अस्पताल झांसी में हुआ था। इलाज के दौरान उसके पति की मृत्यु हो गई थी। घटना की सूचना उसे गांव के लोगों ने फोन पर दी थी। घटना की सूचना पुलिस को मिलने पर अनावेदक क्र. 1 के विरूद्ध थाना नौगांव में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। विनोद अ.सा. 3 ने बताया है कि घटना दिनांक 19.12.21 की शाम करीब 4:00 बजे की है। वह उस समय अपने खेत से गांव तरफ जा रहा था उसी समय मृतक घनश्यामदास रावत ग्राम सुकवा से नौगांव की ओर मोटरसाइकिल से अपनी साइड़ से जा रहे थे। जब मृतक घनश्यामदास तिजवा अहिरवार के पास तिराहा पर पहुंचे तो खेत तरफ से पिकअप क्रमांक एम.पी. 16 जीए 1184 के चालक ने वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाकर मृतक की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे मृतक वही गिर गया और उसे गंभीर चोटे आई थी। वह तथा गांव वाले मृतक को सीएचसी नौगांव अस्पताल लाये थे, नौगांव अस्पताल में मृतक के परिजन आ गये, जो उसे इलाज हेतु झांसी ले गये थे और वह अपने घर चला गया था।

8. इस प्रकार आवेदिका सुमन अ.सा. 1 ने घटना दिनांक 19.12.21 को उसके पति मृतक घनश्यामदास की मोटरसाइकिल से ग्राम सुकवां से ग्राम नौगांव आते समय ग्राम सुकवां में ही तिजवा अहिरवार के खेत के पास अनावेदक क्र. 1 द्वारा वाहन पिकअप एम.पी. 16 जी.ए. 1184 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर उसके पति की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर मृतक घनश्यामदास को चोटे पहुंचाया जाना बताया है जिसकी साक्षी ने इलाज के दौरान मृत्यु होना भी बताया है, जिसकी पुष्टि विनोद अ.सा. 3 ने की है। सुमन अ.सा. 1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में बताया है कि यह सही है कि उसने घटना स्वयं घटित होते हुए नहीं देखी है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदिका सुमन आ.सा. 1 घटना की चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है इस संबंध में चक्षुदर्शी साक्षी की स्थिति विनोद अ.सा. 3 की बताई जा रही है।

9. विनोद आ.सा. 3 घटना दिनांक 19.12.21 को वाहन एम.पी. 16 जीए 1184 के चालक द्वारा वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाकर मृतक की मोटरसाईकिल में बगल से टक्कर मारा जाना बताकर उसे इलाज हेतु नौगांव अस्पताल लाया जाना बताया है। इस संबंध में प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में बताया है कि वह ग्राम सुकवां का रहने वाला है और अपने खेत से गांव तरफ जा रहा था इस प्रकार साक्षी घटनास्थल वाले गांव का निवासी होकर स्वभाविक साक्षी के रूप में है। पैरा 2 में साक्षी ने बताया है कि वे लोग घनश्यामदास को कमांडर जीप से नौगांव लाये थे उसे कमांडर जीप का नंबर याद नहीं है। कमांडर जीप स्लेटी रंग की थी। उसे नहीं पता कि मृतक का हेलमेट कहां गया था, स्वतः कहा कि वह मृतक को लेकर अस्पताल चला गया था। वह आज मृतक की मोटरसाइकिल का नंबर नहीं बता सकता है। इस प्रकार साक्षी मृतक को कमांडर जीप से इलाज हेतु लाना बता रहा है इस जीप का नंबर एवं मृतक की मोटरसाइकिल का नंबर साक्षी बता पाने में असमर्थ है। इस आधार पर अनावेदक बीमा कंपनी ने साक्षी के मौके पर उपस्थित न होने का तर्क किया है। इस संबंध में यह अवलोकनीय है कि कोई भी दुर्घटना इस गति से घटित होती है जिसमें किसी व्यक्ति के पास इतना अधिक समय नहीं रहता कि वह उस समय की सभी परिस्थितियों को अपनी याद में रख सके इसलिए इन तथ्यों का अभाव स्वभाविक है इस कारण से मात्र इस आधार पर साक्षी की मौके पर उपस्थिति को संदेहयुक्त नहीं माना जा सकता इसलिए इस आधार का लाभ बीमा कंपनी को प्राप्त नहीं होता है।

10. विनोद अ.सा. 3 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में बताया है कि यह सही है कि उसने घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी थी। इस आधार पर उसकी मौके पर उपस्थिति को संदेहयुक्त होने का आधार अनावेदक बीमा कंपनी द्वारा लिया गया है। प्रकरण में साक्षी द्वारा घटना की रिपोर्ट लेख न कराये जाने का संबंध है तो साक्षी ने यह भी बताया है कि उसके द्वारा मृतक को मृतक को इलाज हेतु वाहन के माध्यम से नौगांव अस्पताल लाया गया है। इस प्रकार साक्षी द्वारा किसी घायल व्यक्ति के संबंध में जो संभावित मदद हो सकती थी वह की गयी है। इस कारण से साक्षी का आचरण सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के आचरण से विपरीत नहीं माना जा सकता है।

11. साक्षी द्वारा घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न कराये जाने के आधार पर उसके कथनो को संदेहयुक्त माने जाने के संबंध में सम्मानीय न्यायदृष्टांत **Anita Sharma vs. New India Assurance Co. Ltd., (2021) 1 SCC 171** का पैरा **16.**It is quite natural that such a person who had accompanied the injured to the hospital for immediate medical aid, could not have simultaneously gone to the police station to lodge the FIR. The High Court ought not to have drawn any adverse inference against the witness for his failure to report the matter to the police. Further, as the police had themselves reached the hospital upon having received information about the accident, there was perhaps no occasion for AW 3 to lodge a report once again to the police at a later stage either. अवलोकनीय है। जिस कारण से इस आधार का कोई लाभ अनावेदक बीमा कंपनी को प्राप्त नहीं होता है।

12. विनोद अ.सा. 3 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में बताया है कि यह सही है कि वह आवेदकगण से पूर्व से परिचित है और उसके उनसे अच्छे संबंध है। इस प्रकार साक्षी आवेदकगण से परिचित व्यक्ति है। इस आधार पर अनावेदक बीमा कंपनी ने साक्षी को हितबद्ध साक्षी होना बताकर उसके कथन को विश्वास योग्य न होना बताया है। इस संबंध में यह अवलोकनीय है कि मात्र हितबद्धता के आधार पर किसी साक्षी की साक्ष्य को त्यक्त नहीं किया जा सकता है इसलिए इस आधार का लाभ अनावेदक बीमा कंपनी को प्राप्त नहीं होता है। प्रकरण में प्रस्तुत अभियोग पत्र प्रदर्श ए1 में साक्षी को घटना के साक्षी के रूप में बताया गया है इस प्रकार साक्षी की मौके पर उपस्थिति की स्थिति प्रदर्श ए1 से भी स्पष्ट होती है इसलिए भी हितबद्धता के आधार पर साक्षी के कथनों को त्यक्त किया जाना उचित नहीं है।

13. इस प्रकार प्रमोद अना.सा. 3 के इन प्रतिपरीक्षण कथनो से स्पष्ट है कि अनावेदक बीमा कंपनी साक्षी के प्रतिपरीक्षण कथनो में ऐसी कोई स्थिति नहीं ला पाया है जो इस संबंध में साक्षी के घटना को स्वयं उसके द्वारा देखे जाने संबंधी कथनो को संदेहयुक्त कर सके। जिस कारण से साक्षी के कथन विश्वसनीय है।

14. अनावेदक बीमा कंपनी ने यह तर्क किया है कि घटना की रिपोर्ट विलंब से की गई है। इसलिए घटना संदेहयुक्त है। इस संबंध में आवेदिका सुमन आ.सा. 1 द्वारा घटना से संबंधित जो प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श ए2 प्रस्तुत की गई है। उस अनुसार घटना दिनांक 19.12.21 की है और घटना की रिपोर्ट दिनांक 06.01.22 को दर्ज हुई है। इस प्रकार घटना के करीब 17 दिन बाद यह रिपोर्ट दर्ज हुई है। इस प्रकार रिपोर्ट में विलंब की स्थिति है, परंतु विलंब के संबंध में यह अवलोकनीय है कि मृतक को घटना पश्चात् इलाज हेतु झांसी और ग्वालियर ले जाया गया है। जहां पर इलाज के दौरान मृत्यु होने पर दिनांक 25.12.21 को थाना नौगांव में मर्ग क्र. 97/21 प्रदर्श ए 4 दर्ज हुआ है। जिसके पश्चात् मर्ग जांच उपरांत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श ए2 दर्ज की गई है। इस प्रकार मृतक के इलाज में व्यस्तता के कारण घटना संबंधी कोई सूचना न दिये जाने की स्थिति है। इसके पश्चात् मृतक के मृत होने का तुरंत सूचना थाना नौगांव में दी गई है। इसके पश्चात् मर्ग जांच की कार्यवाही में समय व्यतीत हुआ है। यह विलंब की स्थिति

आवेदकगण की ओर से नहीं मानी जा सकती है, बल्कि मर्ग जांच की कार्यवाही में विलंब की स्थिति है इसलिए मात्र विलंब के आधार पर घटना को संदेहयुक्त नहीं माना जा सकता है। इस कारण से इस आधार का लाभ अनावेदक बीमा कंपनी को प्राप्त नहीं होता है।

15. आवेदिका सुमन आ.सा. 1 द्वारा घटना से संबंधित आपराधिक प्रकरण के दस्तावेज अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श ए1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श ए2, नक्शामौका प्रदर्श ए3, मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श ए4, नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श ए5, पी.एम. रिपोर्ट प्रदर्श ए6, जप्ती पत्रक प्रदर्श ए7, धारा 133 मोटर यान अधिनियम का नोटिस प्रदर्श ए8, धारा 41 द0प्र0सं0 का नोटिस प्रदर्श ए9, मैकेनिकल जांच रिपोर्ट प्रदर्श ए10 प्रस्तुत किया गया है। इन दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु होने पर उसके संबंध में मर्ग थाना नौगांव में दर्ज किया गया था, जिसमें मर्ग जांच उपरांत घटना वाहन एम.पी. 16 जीए 1184 के चालक द्वारा किया जाना पाया गया, जिसके संबंध में उक्त वाहन के वाहन स्वामी द्वारा धारा 133 मोटर व्हीकल एक्ट के नोटिस प्रदर्श ए8 में घटना दिनांक को वाहन को अनावेदक क्र. 1 द्वारा चलाया जाना बताते हुए घटनास्थल ग्राम सुकवां जाने और वापसी आने पर एक्सीडेंट के बारे में बताया जाने की जानकारी लेख की गई है। नक्शामौका प्रदर्श ए 3 में भी घटना में प्रयुक्त वाहन सफेद रंग की पिकअप बताई गई है। दुर्घटनाकारी वाहन जप्ती पत्रक प्रदर्श ए7 के अनुसार सफेद रंग की पिकअप है जिसके वाहन के दाहिने तरफ के पहिया का मटगार्ड टूटा होना लेख है जो उक्त वाहन के माध्यम से घटना कारित करने की स्थिति को इंगित करता है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेज भी आवेदिका सुमन आ.सा. 1 एवं साक्षी विनोद अ.सा. 3 के कथनों की पुष्टि करता है।

16. अनावेदक बीमा कंपनी द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि मृतक के इलाज संबंधी दस्तावेजों में एक्सीडेंट में मृतक के घायल होने की स्थिति का उल्लेख नहीं है एवं मृतक के सीएचसी नौगांव से संबंधित कोई एम.एल.सी. नहीं है। इसलिए घटना संदेहपूर्ण है। इस तर्क के संबंध में अवलोकनीय है कि मृतक के दिनांक 19.12.21 से संबंधित डिस्चार्ज टिकिट प्रदर्श ए15 प्रस्तुत किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि आहत को अचेतन अवस्था में इलाज हेतु सीएचसी नौगांव लाया गया था, जहां से उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रैफर किया गया, जिसके पश्चात् संजीवनी हॉस्पीटल झॉसी से संबंधित मेडिकल पर्चा प्रदर्श ए17 में आहत के रोड़ ट्रेफिक एक्सीडेंट में घायल होकर दिनांक 19.12.21 को लाये जाने की स्थिति लेख है जिसे दिनांक 21.12.21 को उक्त अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, इसके बाद मृतक घनश्यामदास को इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज झांसी लाया गया, जहां पर लाने वाले व्यक्ति द्वारा आरटीए की स्थिति बताई है। इस संबंध में दस्तावेज प्रदर्श ए16 है। जिससे स्पष्ट होता है कि मृतक के साथ सड़क दुर्घटना होने की स्थिति इलाज के दौरान बताई गई है इसलिए इस आधार का लाभ अनावेदक बीमा कंपनी को प्राप्त नहीं होता है।

17. अनावेदक बीमा कंपनी ने यह भी तर्क किया है कि मृतक से संबंधित मर्ग सूचना एवं नक्शा पंचायतनामा की कार्यवाही में वाहन नंबर का कोई उल्लेख नहीं है

इसलिए वाहन की संलिप्तता नहीं मानी जा सकती है। इस संबंध में यह अवलोकनीय है कि मर्ग सूचना प्रदर्श ए4 में मृतक के साथ एक्सीडेंट होने की बात लेख है। शव पंचनामा प्रदर्श ए5 में भी मृतक के साथ एक्सीडेंट की घटना होना लेख किया गया है। मर्ग जांच के दौरान निर्मित नक्शा प्रदर्श ए3 में भी पिकअप वाहन द्वारा टक्कर मारने की बात लेख की गई है। इन दस्तावेजों में वाहन का क्रमांक अवश्य लेख नहीं है। यह दस्तावेज मर्ग के संबंध में निर्मित किये गये हैं। मर्ग जांच का उद्देश्य मृत्यु के कारण की जांच करना होता है। इस संबंध में उक्त दस्तावेजो में घटना कैसे, किसके द्वारा, कब घटित की गयी। इसका उल्लेख होना आवश्यक नहीं है। इस कारण से इस आधार का कोई लाभ अनावेदक बीमा कंपनी को प्राप्त नहीं होता है।

18. अनावेदक बीमा कंपनी ने आवेदकगण एवं अनावेदक क्र. 1 व 2 के मध्य दुरभिसंधि की स्थिति बतायी है परंतु इस संबंध में आवेदक एवं साक्षी के कथनो में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जो उनके मध्य दुरभिसंधि की स्थिति को निष्कर्षित कर सके। इस संबंध में आवेदकगण एवं अनावेदक क्र. 1 व 2 अलग—अलग स्थानो के निवासी है इसलिए उनके पूर्व से परिचित होने जैसी कोई स्थिति भी नहीं है। इस कारण से भी इस आधार पर दुरभिसंधि संबंधी कोई स्थिति नहीं मानी जा सकती है। इस कारण से इस आधार का कोई लाभ अनावेदक बीमा कंपनी को प्राप्त नहीं होता है।

19. इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य विवेचन से स्पष्ट है कि आवेदिका सुमन अ.सा.1 ने घटना दिनांक 19.12.21 को उसके पति मृतक घनश्यामदास की मोटरसाइकिल से ग्राम सुकवां से ग्राम नौगांव आते समय ग्राम सुकवां में ही तिजवा अहिरवार के खेत के पास अनावेदक क्र. 1 द्वारा वाहन पिकअप एम.पी. 16 जी.ए. 1184 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर उसके पति की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर मृतक घनश्यामदास को चोटे पहुंचाया जाना बताया है जिसकी साक्षी ने इलाज के दौरान मृत्यु होना भी बताया है, जिसकी पुष्टि विनोद अ.सा. 3 ने की है। विनोद आ.सा. 3 के घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के संबंध में कथन विश्वसनीय है। साक्षीगण के कथनो की पुष्टि प्रए 1 लगायत प्रए 10 के दस्तावेजो से भी होती है। अनावेदक बीमा कंपनी द्वारा जो आधार लिये गये हैं उनका कोई लाभ अनावेदक बीमा कंपनी को प्राप्त नहीं होता है, जिस कारण से प्रकरण में आवेदक साक्ष्य से इस बात की प्रबल संभावना निर्मित होती है कि घटना दिनांक को अनावेदक क्र. 1 ने वाहन एम.पी. 16 जी.ए. 1184 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर मृतक घनश्याम को टक्कर मारकर घटना कारित की गयी।

20. इस प्रकार प्रकरण में आवेदक साक्ष्य से प्रमाणित है कि दिनांक 19.12.2021 को शाम करीब 4:00 बजे थाना नौगांव अंतर्गत स्थान तिजवा अहिरवार के खेत कुआ के पास ग्राम सुकवां में आम रोड पर अनावेदक क्र. 1 ने अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व के वाहन पिकअप क्र. एम.पी. 16 जी.ए. 1184 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर टक्कर मारकर मृतक घनश्याम दास रावत की मृत्यु कारित की। इस प्रकार वाद प्रश्न क्रमांक 1 का निष्कर्ष **''प्रमाणित है''** के रूप में प्राप्त होता है।

<u>वाद प्रश्न कमांक 2 पर सकारण निष्कर्ष–</u>

21. इस संबंध में आवेदिका सुमन आ.सा. 1 ने घटना के समय उसके पति मृतक घनश्यामदास के मोटरसाइकिल से आते समय अनावेदक क्र. 1 द्वारा वाहन एम.पी. 16 जी.ए. 1184 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर घटना कारित किया जाना बताया है जिसकी पुष्टि विनोद आ.सा. 3 ने की है। इस प्रकार साक्षीगण ने घटना में अनावेदक क्र. 1 की लापरवाही की स्थिति बताई है। इस संबंध में जो घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श ए3 बनाया गया है उसमें दर्शित स्थिति अनुसार मृतक अपनी मोटरसाइकिल से सही दिशा में जा रहा था। इसलिए भी मृतक की घटना में उपेक्षा या लापरवाही की स्थिति नहीं मानी जा सकती है।

22. अनावेदक बीमा कंपनी ने इस संबंध में मुख्य आधार मृतक का ड्राईविंग लायसेंस प्रस्तुत न होने एवं मृतक द्वारा घटना के समय बिना हेलमेट के वाहन चलाये जाने को बताया है। इस संबंध में आवेदिका सुमन आ.सा. 1 ने मृतक से संबंधित मूल ड्रायविंग लायसेंसे प्रदर्श ए102 प्रस्तुत किया है जो मूल होकर प्रमाणित है। जिसके अनुसार मृतक घनश्यामदास के पास मोटरसाइकिल चलाने का वैध लायसेंस था इसलिए ड्रायविंग लायसेंस के अभाव में योगदायी उपेक्षा का बीमा कंपनी का अभिवाक् स्वीकार योग्य नहीं है।

23. मोटरसाईकिल चलाते समय हेलमेट न पहनने के आधार पर योगदायी उपेक्षा के संबंध में सम्मानीय न्यायदृष्टांत **Devi Singh vs. Vikram Singh, AIR 2008 MP 18** का पैरा **14.** Accordingly, our answers to the questions referred to us are: (1) Violation of section 128 of the Act, per se, by a motorcyclist does not raise a presumption of contributory negligence on his part; (2) Similarly, violation of section 128 of the Act per se does not amount to contributory negligence on the part of the pillion riders. एवं सम्मानीय न्यायदृष्टांत **<u>Anjana Narayan Kamble & Ors. Vs Branch Manager, Reliance General Insurance Company Limited & Anr. 2023 ACJ 346</u>** का पैरा 7. In the present case, there is no such evidence of contributory negligence except fact of three riders on the motor cycle and of not wearing helmet by the deceased. Therefore, in view of the enunciation of law, we find that the High Court was not justified in deducting 30% of the amount of compensation assessed by the Tribunal for the reason that the deceased was triple riding the Motor Cycle or was not wearing a helmet. The violation of rules for driving a motor vehicle is not a ground to deduct the amount of compensation awarded unless there is proof of either the accident could have been averted or the impact could have been minimized. अवलोकनीय है। जिसके अनुसार इस आधार पर योगदायी उपेक्षा की स्थिति नहीं मानी जा सकती है। इस कारण से अनावेदक बीमा कंपनी को इस आधार का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

24. इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि आवेदिका सुमन आ.सा. 1 एवं विनोद आ.सा. 3 के कथनों से प्रकरण में घटना में अनावेदक कमांक 1 वाहन चालक की उपेक्षा एवं लापरवाही की स्थिति आई है। नक्शामौका प्रदर्श ए3 के अनुसार मृतक द्वारा

वाहन अपनी साइड़ से चलाया जा रहा था। इस संबंध में अनावेदक बीमा कंपनी द्वारा जो ड्राईविंग लायसेंस एवं हेलमेट न पहनने का आधार लिया गया है, जिसका लाभ बीमा कंपनी को प्राप्त नहीं होता है। घटना के संबंध में सर्वोत्तम साक्षी वाहन चालक के भी कथन नहीं कराये गये हैं। इस कारण से घटना में मृतक की योगदायी उपेक्षा की स्थिति प्रमाणित नहीं है।

25. इस प्रकार प्रकरण में साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि उक्त दुर्घटना में मृतक घनश्यामदास की योगदायी उपेक्षा थी। इस प्रकार वाद प्रश्न क्रमांक 2 का निष्कर्ष **"प्रमाणित नहीं"** के रूप में प्राप्त होता है।

वाद प्रश्न क्रमांक 3 एवं 4 पर सकारण निष्कर्ष–

26. उक्त वाद प्रश्न अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी के अभिवचन पर से विरचित किये गये हैं, जिनको प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक 3 पर है। इस संबंध में सम्माननीय न्याय दृष्टांत **Narcinva V. Kamat vs. Alfredo Antonio Doe Martins, (1985) 2 SCC 574** का पैरा **14.** The last question is whether he had a valid driving licence. The High Court has not recorded a clear cut finding on this point. The finding of the Tribunal is more evasive than the one by the High Court. Mr Sharma did not dispute that the second appellant had a driving licence. His grievance is that he having failed to produce the same when called upon to do so in the cross-examination, an adverse inference be drawn against him that he did not have a valid lincence to drive a pick-up van. The submission fails to carry conviction with us. The burden to prove that there was breach of the contract of insurance was squarely placed on the shoulders of the insurance company. It could not be said to have been discharged by it by a mere question in cross-examination. The second appellant was under no obligation to furnish evidence so as to enable the insurance company to wriggle out its liability under the contract of insurance. Further the RTA which issues the driving licence keeps a record of the licences issued and renewed by it. The insurance company could have got the evidence produced to substantiate its allegation. Applying the test who would fail if no evidence is led, the obvious answer is the insurance company. अवलोकनीय है।

27. इसी संबंध में सम्माननीय न्याय दृष्टांत **Akhilesh Gupta v. Arvind Kumar, 2006 SCC OnLine MP 507** का पैरा **7.** On perusal of the written statement submitted by the respondent No. 3 it is apparent that the insurance company has not taken any plea with regard to holding valid driving licence of the bus driver, i.e., respondent No. 2 that he was driving concerned bus without having valid licence. No issue had been framed by the trial court with regard to the driving licence of the bus driver. Moreover, it is settled principle of law that the burden of proof for the fact that the driver of the concerned offending vehicle was having no valid licence is on the insurance company itself. एवं सम्मानीय न्याय दृष्टांत– **Sham Kunwar v. Kamal Singh, 1999 SCC OnLine MP 125**

का पैरा **3.** The insurance company pleaded that the owner of the offending vehicle commit ted breach of the condition of the policy that the driver of the vehicle had no valid licence at the time of accident, therefore, it was not liable to pay compensation. As the insurance company is claiming exonera tion on the ground of breach of the condition of the policy, the burden is squarely on it to prove that breach has been com mitted by the insured and if breach was not proved by leading evidence, the insurance company would fail. In this case, the insur ance company did not examine any witness nor produced any document which could prove that the driver had no valid licence. It is true that on the application of insur ance company, the Tribunal directed the respondent driver to produce his licence and he failed to do so. But in spite of non-production of licence by the driver, the Tribunal could not draw adverse inference against him that he had no valid licence. Their Lordships of the Supreme Court in case of *Narcinva V. Kamat* v. *Alfredo Antonio Doe Martins*, 1985 ACJ 397 (SC), observed under similar circumstances that the respondent driver was under no obliga tion to funish evidence as to enable the insurance company to wriggle out of its liability under the contract of insurance. The onus is always on the insurance com pany to prove that the driver had no valid driving licence to escape liability of payment of compensation. The Tribunal wrongly shifted the burden on the respondents. No officer or clerk from the concerned R.T.O.'s office was examined nor any letter was filed to establish that the driver had no valid licence. If for argument's sake, it is assumed that the R.T.O. informed the insurance company that without licence number, it could not be certified whether the driver had valid licence or not and the driver did not produce the licence, even then on the basis of non-production of licence, it cannot be inferred that the driver had no valid licence. The burden which was on the insurance company can never be shifted on the owner. Mere non-production of licence by the driver does not exonerate the insurance company. The R.T.O. keeps record of licences issued by it. The insurance company could summon the officer concerned with the relevant record. This court in case of *Lalchand* v. *Kanta*, 1992 ACJ 469 (MP), under similar circumstances, did not exonerate the insurance company from its liability of paying compensation on the ground that the driver did not produce his driving licence. We, therefore, hold that the insurance company failed to prove the breach of the condition of the insurance policy, hence, it was liable to indemnify the insured. The learned Tribunal committed error in exonerating it. अवलोकनीय है। उपरोक्त सम्माननीय न्याय दृष्टांतों के अनुसार बीमा शर्तों के उल्लंघन को प्रमाणित करने का दायित्व बीमा कंपनी पर है।

28. बीमा कंपनी की ओर से इस संबंध में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है। अनावेदक क्र. 1 व 2 प्रकरण में एकपक्षीय है उनकी ओर से कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत

नहीं है। इस प्रकार अनावेदक बीमा कंपनी द्वारा अपने प्रमाण भार को उन्मोचित किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इसलिए प्रकरण में दुर्घटनाकारी वाहन को बीमा एवं मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में चलाया जाना नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में दुर्घटना से संबंधित आपराधिक प्रकरण के अंतिम प्रतिवेदन प्र.ए.1 में भी वाहन के मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में चलाये जाने संबंधी वर्णन नहीं है। जिस कारण से प्रकरण में वाहन यू.पी. 95 वी 9020 को घटना दिनांक को बीमा शर्तों एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में चलाया जाना नहीं माना जा सकता है।

29. इस प्रकार प्रकरण में यह प्रमाणित नहीं है कि दुर्घटना दिनांक एवं सुसंगत समय पर अनावेदक क्रमांक 1 के पास वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस का अभाव था एवं दुर्घटना दिनांक को वाहन पिकअप क्र. एम.पी. 16 जीए 1184 को बीमा पॉलिसी की शर्तो एवं मोटर यान अधिनियम के प्रावधानो के उल्लंघन में चलाया जा रहा था। इस प्रकार वाद प्रश्न क्रमांक 3 व 4 का निष्कर्ष **''प्रमाणित नहीं''** के रूप में प्राप्त होता है।

वाद प्रश्न क्र. 5 पर सकारण निष्कर्ष—

30. इस संबंध में आवेदिका सुमन आ.सा.1 ने बताया कि घटना के समय उसके पति की उम्र 50 वर्ष की थी। इस संबंध में आवेदक बीमा कंपनी ने मृतक की उम्र 60 वर्ष की बताई है। इस सुझाव को साक्षी ने गलत बताया है। इस संबंध में आवेदिका सुमन आ.सा. 1 ने मृतक घनश्यामदास से संबंधित पेनकार्ड प्रदर्श ए103 आधारकार्ड प्रदर्श ए104 प्रस्तुत किया गया है जिसमें मृतक घनश्यामदास की जन्मतिथि 17.11.1968 लेख है सुमन आ.सा. 2 ने मृतक के सर्विस रिकॉर्ड़ से संबंधित मूल प्रपत्र प्रदर्श ए105 प्रस्तुत किया है, जिसमें घनश्यामदास की जन्मतिथि 17.11.1968 लेख है। इस प्रकार इन सभी प्रपत्रों में लेख जन्मतिथि एक समान होने के कारण मृतक की जन्मतिथि 17.11.1968 होना मान्य की जाती है। मृतक वीरेन्द्र के साथ घटित घटना दिनांक 19.12.2021 की है। **इस अनुसार घटना दिनांक को मृतक घनश्यामदास की आयु 53, वर्ष, 01 माह, 02 दिन होती है।**

31. आवेदिका सुमन आ.सा. 1 ने बताया है कि घटना के समय उसके पति घनश्यामदास शासकीय शिक्षक के पद पर प्राथमिक शाला अचट्ट में पदस्थ थे। उसके पति को घटना के समय 40—41 हजार रूपये मासिक वेतन मिलता था उसके पति खेती करवाते थे जिससे उन्हें 10,000/—रूपये प्रतिमाह आय अर्जित होती थी। सुमन आ.सा. 2 ने बताया है कि वह वर्तमान में शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल सलैया में प्राचार्य के पद पर पदस्थ है। वह इस पद पर वर्ष 2015 से पदस्थ है। प्राथमिक शाला अचटट उसके संकुल के अंतर्गत है मृतक घनश्यामदास प्राथमिक शाला अचटट में प्राथमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ है। वह मृतक घनश्यामदास रावत की सेवा पुस्तिका लेकर आई है, जो सेवा पुस्तिका मूल प्रदर्श ए105 है। मृतक घनश्यामदास का घटना के समय मूल वेतन 33,100/—रूपये, डीए 6620/—रूपये, एच.आर.ए. 387/—रूपये कुल 40,107/—रूपये बनता था। जिसका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र प्रदर्श ए106 है।

32. इस प्रकार आवेदिका सुमन आ.सा. 1 ने मृतक घनश्यामदास के शासकीय शिक्षक के पद पर प्राथमिक शाला अचट्ट में पदस्थ होकर 40—41 हजार रूपये मासिक वेतन मिलने की स्थिति बताई है, जिसकी पुष्टि सुमन आ.सा. 2 ने करते हुए मृतक

घनश्यामदास को घटना के समय कुल 40,107/—रूपये वेतन के रूप में मिलना बताया है। इस संबंध में मृतक घनश्यामदास की सेवा पुस्तिका 105 है, जिसके अनुसार मृतक घनश्यामदास घटना के समय प्राथमिक शाला अचट्ट में पदस्थ था। एल.पी.सी. प्रदर्श ए106 के अनुसार उसे प्राप्त वेतन 41,107/—रूपये था। इस वेतन में से कटौती की राशि एन.पी.एस., जी.आई.एस. एवं प्रोफेशनल टेक्स तथा अन्य कटौती की कुल राशि 7,563/—रूपये बताई गई है। एन.पी.एस., जी.आई.एस. एवं प्रोफेशनल टेक्स की राशि किसी भी शासकीय सेवक को प्राप्त होने वाली वेतन में से कटौती योग्य राशि है। इसलिए राशियां मृतक घनश्यामदास के वेतन में से कटौती योग्य है। एल.पी.सी. में अन्य कटौती राशि 3183/—रूपये बताई गई है। यह राशि किस मद में काटी जा रही है इसका उल्लेख नहीं है। इस संबंध में सुमन आ.सा. 2 से भी कोई जानकारी आवेदक पक्ष द्वारा नहीं लाई गई है, जिससे उक्त कटौती राशि को वेतन में समायोजित योग्य होना माना जा सके इसलिए यह कटौती राशि भी मृतक के वेतन से वैध रूप से कटौती योग्य राशि के रूप में मान्य की जायेगी। इस प्रकार मृतक के मासिक वेतन में से कुल कटौती योग्य राशि 7,563/—रूपये हो जाती है। इस कटौती योग्य राशि 7,563/—रूपये को मृतक के कुल वेतन 40,107/—में से घटाये जाने पर मृतक को प्राप्त होने वाली मासिक वेतन की राशि 32,544/—रूपये हो जाती है।

33. मृतक घनश्यामदास को घटना के समय प्राप्त होने वाला मासिक वेतन 32,544/—रूपये हैं, जो वार्षिक रूप से 3,90,528/—रूपये होती है। वर्ष 2021—22 में जो आयकर मुक्त आय थी वह ढाई लाख रूपये थी। उसके अधिक आय पर 5,00,000/—रूपये तक 5 प्रतिशत आयकर देय था। ऐसी स्थिति में मृतक को घटना के समय प्राप्त हो रही वेतन की स्थिति को देखते हुए आयकर के संबंध में कटौती किया जाना उचित है। इस संबंध में सम्मानीय न्यायदृष्टांत **SEBASTIANI LAKRA & ORS.VS NATIONAL INSURANCE COMPANY LTD. & ANR.(2019)17SCC465** का पैरा 22. <u>It is not disputed that the last drawn income of the deceased including DA was Rs. 58,565/-. On this amount, the deceased would definitely have been paying some income tax. Since exact calculations of the same has not been given, we deduct about Rs. 2,565/- per month for this purpose and for purposes of calculation of loss of income, assess the income as Rs. 56,000/- per month</u>. Out of this amount 1/3 is deducted i.e. Rs. 18,667/-, for personal expenses leaving a balance of Rs. 37,333/- per month as loss of dependency to the family, which works out to Rs. 4,47,996/- per annum. Applying a multiplier of 11, the compensation works out to Rs. 49,27,956/-. In addition thereto, according to the judgment of this Court in Pranay Sethi case (supra), the claimants are entitled to Rs. 15,000/- for loss of estate, Rs. 40,000/- loss of consortium, Rs. 15,000/- for funeral expenses i.e. a total amount of Rs. 49,97,956/- which is rounded off to Rs. 50,00,000/-. On this amount, the claimants shall be entitled to interest @ of 9% per annum from the date of filing of the petition till the payment of the amount. Obviously, the insurance company shall be entitled to deduct/adjust the amounts already paid by it. अवलोकनीय है। मृतक को घटना के

समय वार्षिक रूप से प्राप्त हो रही राशि 3,90,528/—रूपये में से तत्समय प्रचलित आयकर की दर पर कटौती किये जाने पर आयकर की राशि 7026/—रूपये होती है। **इस प्रकार आयकर अदायगी उपरांत मृतक घनश्यामदास को प्राप्त होने वाली वार्षिक आय 3,83,502/—रूपये होती है।**

34. इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से यह प्रमाणित है कि दुर्घटना के समय मृतक **घनश्यामदास की आयु 53 वर्ष थी और उसकी वार्षिक आय 3,83,502/—रूपए थी।** तद्नुसार वाद प्रश्न क्र. 5 निष्कर्षित किया जाता है।

<u>वाद प्रश्न क्रमांक 6 व 7 का सकारण निष्कर्ष</u>

35. वाद प्रश्न क्र. 1 के निष्कर्ष से प्रकरण में प्रमाणित है कि मृतक घनश्यामदास की मृत्यु वाहन एम.पी. 16 जी.ए.1184 के प्रयोग से हुयी है। ऐसी स्थिति में मृतक के विधिक वारसान वाहन दुर्घटना में मृतक की मृत्यु होने के कारण उक्त संबंध में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी है। आवेदकगण मृतक की पत्नी, पुत्री एवं माता है, जो मृतक के विधिक वारसान के रूप में है। **इस कारण आवेदकगण मृतक घनश्यामदास की मोटरयान दुर्घटना में हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप कारित क्षति के लिये प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी हैं।**

36. दुर्घटना के समय मृतक घनश्यामदास की आयु 53 वर्ष थी और उसकी आय 3,83,502/—रूपए प्रतिवर्ष थी अब आवेदकगण को दिलाई जानी वाली क्षतिपूर्ति की गणना की जानी है।

37. **<u>गुणांक—</u>**इस संबंध में सम्माननीय न्याय दृष्टांत National Insurance Co. Ltd. v. Pranay Sethi, (2017) 16 SCC 680 का पैरा **59.7.The age of the deceased should be the basis for applying the multiplier.** अवलोकनीय है। प्रकरण मे मृतक घनश्यामदास की आयु **53** वर्ष होना प्रमाणित है। **इस संबंध में आयु के आधार पर वार्षिक आय में 11 का गुणांक लगाया जायेगा।**

38. **<u>भविष्य में अभिवृद्धि</u>**—पूर्व में की गयी विवेचना के अनुसार प्रकरण में मृतक के स्थाई नियोजन के आधार पर आय निकाली गई है। इस संबंध में सम्माननीय न्याय दृष्टांत **Hem Raj v. Oriental Insurance Co. Ltd., (2018) 15 SCC 654** का पैरा **7.**We are of the view that there cannot be distinction where there is positive evidence of income and where minimum income is determined on guesswork in the facts and circumstances of a case. Both the situations stand at the same footing. Accordingly, in the present case, addition of 40% to the income assessed by the Tribunal is required to be made. The Tribunal made addition of 50% while the High Court has deleted the same. एवं सम्माननीय न्याय दृष्टांत **National Insurance Co. Ltd. v. Pranay Sethi, AIR 2017 SC 5157** का पैरा **59.4.** In case the deceased was self-employed or on a fixed salary, an addition of 40% of the established income should be the warrant where the deceased was below the age of 40 years. An addition of 25% where the deceased was between the age of 40 to 50 years and 10% where the deceased was between the age of 50 to 60 years should be regarded as the necessary method of computation. The established income means the income minus the tax component. अवलोकनीय है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थाई नियोजन के आधार पर

आय निर्धारित किये जाने पर भी भविष्य की अभिवृद्धि उसकी आय में जोडा जाना बताया है, **जो सम्माननीय न्याय दृष्टांतों एवं मृतक घनश्यामदास की उम्र को देखते हुए 15 प्रतिशत होगी।**

39. **<u>कटौती–</u>**इस संबंध में यह अवलोकनीय है कि मृतक पर आश्रित व्यक्तियो की संख्या 4 आवेदन पत्र में लेख है जो मृतक की पत्नी, पुत्रियां एवं मॉ है, जो सभी आवेदकगण मृतक पर नैंसिर्गिक आश्रित व्यक्ति के रूप में है। ऐसी स्थिति में सम्माननीय न्याय दृष्टांत **National Insurance Co. Ltd. v. Pranay Sethi, (2017) 16 SCC 680** के अनुसार मृतक अपने उपर कुल अर्जित आय का 1/4 भाग खर्च करता होगा। **इस कारण से प्रकरण में मृतक की वार्षिक आय में 1/4 भाग तक की कटौती की जाना उचित है।**

40. **<u>संपदा हानि, सहचर्य हानि, अंतिम संस्कार व्यय–</u>** इस संबंध में सम्माननीय न्याय दृष्टांत National Insurance Co. Ltd. v. Pranay Sethi, (2017) 16 SCC 680 : 59 का पैरा **8.** Reasonable figures on conventional heads, namely, loss of estate, loss of consortium and funeral expenses should be Rs 15,000, Rs 40,000 and Rs 15,000 respectively. The aforesaid amounts should be enhanced at the rate of 10% in every three years. अवलोकनीय है। प्रकरण में आवेदकगण मृतक के पत्नी, पुत्री व माता हैं आवेदकगण को पृथक–पृथक सहचर्य हानि दिलाए जाने के संबंध में सम्माननीय न्यायदृष्टांत **Magma General Insurance Co. Ltd. v. Nanu Ram, (2018) 18 SCC 130** का पैरा **23.** The Motor Vehicles Act is a beneficial legislation aimed at providing relief to the victims or their families, in cases of genuine claims. In case where a parent has lost their minor child, or unmarried son or daughter, the parents are entitled to be awarded loss of consortium under the head of filial consortium. Parental consortium is awarded to children who lose their parents in motor vehicle accidents under the Act. A few High Courts have awarded compensation on this count [Rajasthan High Court in *Jagmala Ram* v. *Sohi Ram*, 2017 SCC OnLine Raj 3848 : (2017) 4 RLW 3368; Uttarakhand High Court in *Rita Rana* v. *Pradeep Kumar*, 2013 SCC OnLine Utt 2435 : (2014) 3 UC 1687; Karnataka High Court in *Lakshman* v. *Susheela Chand Choudhary*, 1996 SCC OnLine Kar 74 : (1996) 3 Kant LJ 570] . However, there was no clarity with respect to the principles on which compensation could be awarded on loss of filial consortium. एवं सम्मानीय न्यायदृष्टांत **Harpreet Kaur and Others *Vs* Mohinder Yadav and Others 2022 SCC OnLine SC 1723** का पैरा **14.** On an application of the principles indicated in *Magma General Insurance Co.*, this court is of the opinion that the filial and parental consortium have to be increased. Each of the children, and the mother of the deceased, is entitled to Rs. 40,000/-. Thus, the total amount payable towards filial and parental consortium is Rs. 1,20,000/-.अवलोकनीय है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण को पृथक–पृथक सहचर्य हानि दिलाई जानी चाहिए। उपरोक्त सम्माननीय न्याय दृष्टांतों के आलोक में मृतक के संबंध में संपदा हानि, अंतिम संस्कार व्यय एवं सहचर्य हानि की राशि क्रमशः 15000, 15000 एवं 40,000 रूपये होती है। सम्माननीय न्याय दृष्टांत National Insurance Co. Ltd. v. Pranay Sethi, में निर्णय दिनांक से तीन वर्ष पश्चात उक्त राशि में दस प्रतिशत की वृद्धि किया जाना बताया है, सम्मानीय न्याय दृष्टांत दिनांक 31.10.2017 का है और यह घटना दिनांक

19.12.2021 की है। इस प्रकार घटना निर्णय के तीन वर्ष पश्चात् की स्थिति की है। इस कारण से इस राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि किया जाना भी उचित है। इस प्रकार यह वृद्धि उपरांत राशि क्रमशः 16500, 16500 एवं 44000/-रूपये हो जाती है।

41. **<u>इलाज में खर्च राशि</u>** आवेदिका सुमन आ.सा. 1 ने यह बताया है कि उसके पति घनश्यामदास का इलाज संजीवनी अस्पताल झांसी, गंगा अस्पताल झांसी में हुआ था इलाज के दौरान उसके पति की मृत्यु हुई। इस इलाज में करीब 3-4 लाख रूपये खर्च हो गये थे। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज झांसी में की गई एम.एल.सी. प्रदर्श ए16, इलाज से संबंधित दवाइयों के बिल व पर्चे प्रदर्श ए17 लगायत ए101 फाइनल बिल प्रदर्श ए12, 13 प्रस्तुत किये हैं। इस प्रकार मृतक के इलाज में भी राशि खर्च हुई है। प्रदर्श ए12 व 13 संजीवनी अस्पताल झांसी एवं गंगा अस्पताल झांसी के इलाज संबंधी फाइनल बिल है। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि मृतक घनश्यामदास का इलाज दोनों ही अस्पतालों में हुआ है। प्रदर्श ए12 के संबंध में सुमन आ.सा. 1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 8 में बताया है कि प्रदर्श ए12 में रसीद नंबर 2293, 2294, 687 की राशि समाहित हैं। प्रदर्श ए 13 में रसीद नंबर 2053, 2057, 2069, 2071, 2086 की राशियां समाहित है। इस प्रकार प्रदर्श ए12 के बिल में रसीद क. 2293 प्रदर्श ए18, रसीद क. 2295 प्रदर्श ए19, रसीद क. 687 प्रदर्श ए37 की राशि समाहित है। इस कारण से प्रदर्श ए18, 19, 37 की राशि समायोजन योग्य नहीं है। इस संबंध में प्रदर्श ए12 में वर्णित राशि समायोजन योग्य है। इसी प्रकार प्रदर्श ए13 में रसीद क. 2053 प्रदर्श ए42, रसीद क. 2057 प्रदर्श ए44, रसीद क. 2069 प्रदर्श ए94, रसीद क. 2077 प्रदर्श ए95 की राशि समाहित है जिस कारण से रसीद क. 2053 प्रदर्श ए42, रसीद क. 2057 प्रदर्श ए44, रसीद क. 2069 प्रदर्श ए94, रसीद क. 2077 प्रदर्श ए95 की राशियां समयोजन योग्य नहीं है। इसी प्रकार रसीद प्रए 46, 47, 61, 63, 64, 81, 82, 83, 101 में जो राशि दिया जाना लेख है वह किस संस्थान की है इसका कोई उल्लेख नहीं है। इस कारण से इन रसीदों में दर्शित राशियां समायोजन योग्य नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में मृतक घनश्यामदास के इलाज में खर्च के रूप में प्रदर्श ए12 एवं 13 में दर्शित राशि ही समायोजन योग्य है। इसके अतिरिक्त रसीद क. 2293 प्रदर्श ए18, रसीद क. 2295 प्रदर्श ए19, रसीद क. 687 प्रदर्श ए37, रसीद क. 2053 प्रदर्श ए42, रसीद क. 2057 प्रदर्श ए44, रसीद क. 2069 प्रदर्श ए94, रसीद क. 2077 प्रदर्श ए95, रसीद प्रए 46, 47, 61, 63, 64, 81, 82, 83, 101 में दर्शित राशियां समायोजन योग्य नहीं है। **फाइनल बिल प्रदर्श ए12 एवं 13 की कुल राशि 1,45,600/-रूपये है।**

42. मृतक के इलाज में खरीदी गई दवाइयों एवं कराई गई जांच के संबंध में संजीवनी अस्पताल झांसी एवं मेडिका द मेडिकल स्टोर झांसी तथा गंगा हॉस्पीटल ट्रोमा एण्ड न्यूरोस्पाइन सेंटर झॉसी, न्यू महास्वाइन मेडिकल स्टोर झांसी से संबंधित दवाई एवं विभिन्न जॉच संबंधी बिल प्रस्तुत किये गये हैं, जो घटना दिनांक 19.12.2021 से दिनांक 21.12.2021 के हैं, जो प्रकरण में प्रदर्श ए 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79,

80, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99 के रूप में है। उक्त दस्तावेजों में वर्णित राशियां समायोजन योग्य हैं, **जिनकी कुल राशि 64,966/–रूपये है।**

43. इस प्रकार मृतक घनश्यामदास के इलाज में खर्च **कुल राशि 2,10,566/– होती है**, जिसे आवेदकगण इलाज में खर्च राशि के मद में प्राप्त करने के अधिकारी है।

44. इस प्रकार उपरोक्त सम्माननीय न्याय दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण को प्राप्त होने वाली प्रतिकर की गणना निम्न प्रकार से होगी –

क.	मद	गणना
1.	मृतक की आमदनी वार्षिक	3,83,502/–रुपए वार्षिक
2.	15 प्रतिशत भावी संगणना में लिये जाने पर कुल वार्षिक आय	3,83,502 (वार्षिक आय) + 57,525 (भविष्य अभिवृद्धि) =4,41,027/–रू.
3.	मृतक के स्वयं के व्यय पर किये जाने वाले खर्च 1/4 की कटौती	1,10,256/–रूपये
4.	मृतक के स्वयं पर व्यय की जाने वाले खर्च की राशि की कटौती के पश्चात आश्रितों को प्राप्त होने वाली राशि(वार्षिक)	4,41,027 (वार्षिक आय) –1,10,256 (कटौती राशि) ————————— =3,30,771/–रूपये, वार्षिक
5.	उक्त आश्रितता की राशि पर मृतक की उम्र के अनुसार 11 का गुणांक लगाये जाने पर	3,30,771X 11 =36,38,481/-रुपए
6.	अंतिम संस्कार व्यय	16,500/–रुपए
7.	संपदा की नुकसानी	16,500/–रुपए
8.	सहचर्य की हानि के रूप में पत्नी को	44,000/–रुपए
9.	पुत्री प्रीति को parental consortium	44,000/–रुपए
10.	पुत्री दीपिका को parental consortium	44,000/–रुपए
11.	माता को Filial consortium	44,000/–रुपए
12.	इलाज में खर्च राशि	2,10,566/–रूपये
	कुल राशि–	**40,58,047/–रूपए**

45. इस प्रकार आवेदकगण मृतक घनश्यामदास की मोटरयान दुर्घटना में हुई मृत्यु के संबंध में क्षतिपूर्ति के रूप में **40,58,047/–रूपए (चालीस लाख, अठ्ठावन हजार, सैंतालीस रुपए)** राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जिस पर वह 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं। ब्याज राशि की प्राप्ति के संबंध में प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में सर्वप्रथम यूनाईटेड इंडिया इंश्योंरेस कंपनी को पक्षकार बनाया गया था। इसके पश्चात् आदेश दिनांक 08.05.2023 के आदेश के माध्यम से यूनाईटेड इंडिया इंश्योंरेस कंपनी लिमिटेड को विलोपित कर अनावेदक क्र. 3 के रूप में द न्यू इंडिया इश्योंरेंस कंपनी को पक्षकार बनाया गया है, इसके पश्चात् आवेदकगण द्वारा तलवाना अदा किये जाने पर जो सूचना पत्र प्रेषित किये गये वह यूनाईटेड इंडिया इंश्योंरेस कंपनी के

नाम पर प्रेषित हुये हैं। जबकि वह प्रकरण में पक्षकार के रूप में विलोपित हो चुकी थी। इसके पश्चात् दिनांक 14.03.2024 को किये गये आदेश पर अनावेदक क्र. 3 शाखा प्रबंधक द न्यू इंडिया इंश्योंरेश कंपनी के नाम पर आदेशिका निकाले जाने के पश्चात् नियत दिनांक 29.04.24 को अनावेदक क्र. 3 बीमा कंपनी उपस्थित हुई है। इसके पूर्व अनावेदक क्र. 3 बीमा कंपनी को उक्त प्रकरण संबंधी जानकारी होना दर्शित नहीं होता है। इस कारण से आवेदकगण क्षतिपूर्ति पर ब्याज की राशि दिनांक 29.04.2024 से प्राप्त करने के अधिकारी हैं। यह वाहन दुर्घटना के समय अनावेदक क्रमांक 3 द्वारा विधिवत बीमित था। अतः उक्त क्षतिपूर्ति राशि आवेदकगण, अनावेदकगण से संयुक्ततः और पृथकतः प्राप्त करने के अधिकारी हैं। बीमा शर्तों का उल्लंघन होना न पाये जाने से प्रतिकर अदायगी का प्राथमिक दायित्व अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी का होगा।

46. इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से यह प्रमाणित है कि आवेदकगण, अनावेदकगण से संयुक्ततः, पृथकतः कुल प्रतिकर राशि **40,58,047/—रूपए (चालीस लाख, अठ्ठावन हजार, सैंतालीस रुपए)** और उक्त राशि पर क्लेम प्रस्तुति दिनांक से अदायगी दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उपरोक्तानुसार वाद प्रश्न क्रमांक—6 व 7 को निष्कर्षित किया जाता है।

<u>वाद प्रश्न क्रमांक 8 पर निष्कर्षः—</u>

47. उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रस्तुत आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत क्लेम आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निम्नानुसार अधिनिर्णय पारित किया जाता है :—

अ— आवेदकगण, अनावेदकगण से संयुक्ततः और पृथकतः मृतक घनश्याम दास रावत के संबंध में प्रतिकर के रूप में कुल राशि राशि **40,58,047/—रूपए (चालीस लाख, अठ्ठावन हजार, सैंतालीस रुपए)** और उक्त राशि पर क्लेम प्रस्तुति दिनांक 29.04.2024 से अदायगी दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

ब— अनावेदक बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि अधिकरण के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा नौगांव के खाता क्रमांक 594502010025937 आईएफएससी कोड UBI No 559458 में RTGS/IMPS/NEFT के माध्यम से जमा कर अधिकरण को सूचित करे।

स— बीमा शर्तों का उल्लंघन होना न पाये जाने से प्रतिकर अदायगी का प्राथमिक दायित्व अनावेदक क्र.3 बीमा कंपनी का होगा।

द— प्रतिकर की कुल राशि में से आवेदिका क्रमांक 1 को **40 प्रतिशत राशि**, आवेदक क्रमांक 2, 3 व 4 को **20—20 प्रतिशत राशि** राशि प्राप्त होगी।

इ— आवेदकगण को उनके हिस्से की राशि में से **50—50 प्रतिशत राशि** Account Payee चैक के माध्यम उन्हें नगद प्रदान की जाए और शेष राशि उनके नाम से **तीन—तीन वर्ष** के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा खाते में जमा करायी जाए।

य— आवेदकगण को अंतरिम प्रतिकर के रूप में कोई राशि प्रदान की गयी हो तो वह इस प्रतिकर राशि में समायोजन योग्य रहेगी।

र– अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो, वह देय होगा।

ल– अनावेदकगण स्वयं के व्यय के साथ–साथ आवेदकगण का भी क्लेम व्यय वहन करेंगे।

तद्नुसार व्यय तालिका बनाई जावे।

48. अधिनिर्णय की एक–एक प्रति आवेदकगण और अनावेदक पक्ष को निःशुल्क प्रदान की जावे।

अधिनिर्णय दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(दिनेश कुमार प्रजापति)
सदस्य
द्वितीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
नौगांव जिला छतरपुर (म.प्र.)

(दिनेश कुमार प्रजापति)
सदस्य
द्वितीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
नौगांव जिला छतरपुर (म.प्र.)

DINESH KUMAR PRAJAPATI
Digitally signed by DINESH KUMAR PRAJAPATI
Date: 2025.08.08 16:41:04 +0530